सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 68/17 निर्णय दिनांकः–

1. मोतीराम उर्फ मोतीलाल पुत्र स्व. रेवन्तराम जाति सुथार निवासी बम्बलू तहसील बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. पेमाराम पुत्र कुशलाराम जाति सुथार निवासी बम्बलू तहसील बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 02–08–2017
व निरन्तर आदेश दिनांक 30–11–2017
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सुरेश व्यास, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 02–08–2017 व निरन्तर आदेश दिनांक 30–11–2017 जिसके द्वारा अपीलांट के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा एकतरफा तौर पर पारित की गई, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके अपीलांटान की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष खाता बंटवारा का दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें वादगत् भूमि के 1/4 हिस्से की भूमि का खाता विभाजन की डिक्री प्रदान की जावे का अनुतोष चाहा गया है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 02—08—2017 को एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में खसरा नम्बर 711 तादादी 9.17 हेक्टर भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये। जो दिनांक 30—11—2017 तक प्रभावी था। उक्त दिवस के उपरान्त आदेश दिनाक 02—08—2017 की अवधि नहीं बढ़ाई गई है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत को संयुक्त खातेदारी की भूमि में सभी पक्षकारों को अर्थात कानूनन रिकार्डेड खातेदार को नोटिस देकर, साक्ष्य व सबूत का अवसर देकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण तथ्यों प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर कोई विवेचना ना करते हुए आरजी तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो नैचुरल जस्टिस के सिद्वान्तों के विरूद्व जाकर आदेश जैर अपील पारित किया है। जो काबिल निरस्त है। वादगत् भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य संयुक्त रूप खातेदार काश्तकार है। जिनके मध्य खाता विभाजन का दावा विचाराधीन है तथा अभी खाता विभाजन होना शेष है। कानूनन प्रत्येक काश्तकार प्रत्येक इंच का हकदार होता है। अदालत मातहत द्वारा इस कानूनी बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है। जो कानून की दृष्टि से एक शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। चूंकि अपीलाधीन आदेश आज दिनांक को निष्प्रभावी हो चुका है अतः अपील निष्फल घोषित करते हुए पुनः अदालत मातहत को लौटाई जावे की अदालत मातहत दोनों पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2001 पार्ट I पेज 584, आरआरडी 1957 पेज 235, आरआरडी 1964 पेज 131 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 02—08—2017 व निरन्तर आदेश दिनांक 30—11—2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। जैर अपील आदेश अब प्रभाव में नहीं रहा है। इसलिए इस अपील का गुणावगुण पर निर्धारण नहीं हो सकता। अपील अब निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः अपील अधिनस्थ न्यायालय निष्प्रभावी होने के आधार पर लोटाई जावे। उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसे दौराने दावा रहन, बैय व मुन्तकिल किया गया तो प्रकरण में जटिलता व बाहुलता बढ़ेगी। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई थी। अपीलांट द्वारा केवल मात्र आदेश जैर अपील को निष्प्रभावी घोषित कराने के उद्वेश्य मात्र से अदालत हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 02—08—2017 को आदेश पारित करते हुए वादगत् भूमि खसरा नम्बर 711 तादादी 9.17 हेक्टर भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये। वादगत् भूमि एक संयुक्त खातेदारी भूमि है व अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये है। अदालत मातहत के उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है बल्कि अदालत मातहत द्वारा आदेश इस आश्य के आधार पर पारित किया है ताकि वादगत् भूमि कि किस्म परिवर्तन ना हो अथवा वादगत् भूमि का रहन, बैय व मुन्तकिल ना हो। अपीलांट द्वारा अदालत हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के बजाय अदालत मातहत के समक्ष की उपस्थित होकर मामलें में बहस करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करवाया जाना चाहिए था। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष मामलें में बहस करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करवाने के बजाय मात्र आदेश जैर अपील को निष्प्रभावी कराने के उद्वेश्य मात्र से अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट की अपील चलने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खरिज करते हुए दोनों पक्षों को वादगत् भूमि की यथास्थिति कायम रखने के लिए ताफैसला अदालत मातहत को पाबन्द फरमाया जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1982 पेज 370, आरआरडी 1987

पेज 330, आरआरडी 1993 पेज 206, आरआरडी 1981 पेज 639, आरआरटी 2010 पार्ट I पेज 221, आरआरटी 2017 पार्ट I पेज 491, आरआरटी 2013 पार्ट II पेज 1119 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के आदेश दिनांक 02—08—2017 व निरन्तर आदेश दिनांक 30—11—207 के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई।

(2) हमने अदालत मातहत की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 02—08—2017 के माध्यम से वादगत् भूमि खसरा नम्बर 711 तादादी 9.17 हेक्टर भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये थे।

(3) प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 02—08—2017 के उपरान्त अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हो चुके थे व पत्रावली बहस के स्तर पर चल रही थी। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बहस ना करते हुए आदेश जैर की अपील अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(4) प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02—08—2017 को ही प्रार्थी/वादी को एकतरफा सुनकर आगामी पेशी तक विवादित भूमि के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति कायम करने के आदेश पारित किये है। उक्त आदेश के उपरान्त अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हो चुके है तथा अदालत मातहत के समक्ष पत्रावली बहस के स्तर पर लम्बित चल रही थी। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण में बहस ना करते हुए अदालत हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष गुणावगुण पर बहस करने में गुरेज करते हुए मात्र अपीलाधीन आदेश को निरस्त कराने के उद्वेश्य मात्र से अपील प्रस्तुत की गई है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश

दिनांक 02–08–2017 एक अंतरिम आदेश की श्रेणी का आदेश है तथा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर बहस/सुनवाई के लिए दिनांक 19–12–2017 निर्धारित की हुई है। इसलिए अपीलांट अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। चूंकि अदालत मातहत के समक्ष पत्रावली बहस के स्तर पर लम्बित है अतः हम अदालत मातहत के आदेश दिनांक 02–08–2017 में अपील के इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

(5) अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील निष्फल घोषित की जाती है। अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटई जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर